न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 89/2020

डा0 कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 4 बी 10 जवाहर नगर श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजेन्द्र कौर पत्नी नत्था सिंह जाति जटसिख निवासी 3 ई छोटी ढाणी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री बलकरण सिंह बराड़ अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री दलबारा सिंह बराड़ अधिवक्ता – – अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 2

–:: आदेश ::–

दिनांक :–07.01.2021

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत है और वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में है। प्रार्थी के नाम से चक 3 ई छोटी पटवार हल्का 2 एम एल श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10/12 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नं0 1 ता 7 कुल 1.741 है। नहरी बाग कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 प्रमाणित प्रति एवं नजरी नक्शा असल पेश है। अप्रार्थीया के नाम से चक 3 ई छोटी के खाता संख्या 35/33 मुरब्बा नं0 23, 24, 25 में कुल 6.437 है। नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2070–73 पेश है।यह कि प्रार्थी द्वारा अपनी कषिभमि में मौसमी व किन्नओं का बाग लगा रखा है। प्रार्थी के मरब्बा नं0 26 में स्थित रकबा के लिए कार" मंजूरशुद्धा रास्ता मौका पर चालू नहीं है जिससे प्रार्थी का बाग का फसल पकने पर व बाग की निराई गुड़ाई व स्प्रे करने में रास्ता न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आस पडौस के काश्तकारों से हमेशा लड़ाई झगड़ा होने का अन्देशा बना रहता है। प्रार्थी को कृषि भूमि के लिए रास्ता की अत्यंत आवश्यकता है इसलिए मुरब्बा नं0 25 के किला नं0 10 के दक्षिण दिशा कॉर्नर पक्की सड़क से चिपता हुआ 3 बिस्वा मुरब्बा नं0 26 के किला नं0 6 के पूर्वी दक्षिण कॉर्नर पर रास्ता मंजूर किया जावे जिससे प्रार्थी को अपने बाग (कृषि भूमि) में आने जाने का रास्ता सुचारू रूप से मिल जावे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया से पारस्परिक सहमति से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया गया लेकिन जिसे वह इंकार हो गयी इसीलिए श्री मान न्यायालय को आवेदन पेश करना पड़ा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तगत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

किया जाकर "चक 3 ई छोटी के खाता संख्या 35/33 के मुरब्बा न0 25 क किला न0 10 में दक्षिण दिशा कॉर्नर पक्की सड़क से चिपता हुआ मुरब्बा नं0 26 के किला नं0 6 के पूर्वी दिशा के चिपता 3 बिस्वा रास्ता" नियमानुसार मंजूर किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जाकर मौका पर चालू करवाए जाने के आदेश पारित करें। आप श्री मान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.10.2020 को जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थीया भी राजकीय सेवा में प्रिन्सीपल के पद से सेवानिवृत हुई है और आय–77 वर्ष वरिष्ठ नागरिक है और बड़ी आयु होने के कारण व अस्वस्थ होने के कारण अपने बेटे के पास पिछले मार्च 2019 से जयपुर में जेर ईलाज है और चलने फिरने में असमर्थ है। परन्तु यहां यह बताना जरूरी है कि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 8, 9, 10 के भूमि मालिकान द्वारा करीब 30 वर्ष पहले जब उन्होने भूमि ली थी तो मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 6, 7 की भूमि में रास्ते के लिये भूमि खरीद की थी यह भूमि उनके नाम है और उस भूमि में मौके पर सडक से उनके खेत व खेत में बनी ढाणी तक रास्ता चल रहा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 रिकार्ड से संबंधित है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 में बाग लगा होने के कारण स्वीकार है, बाकी तथ्य असत्य होने के कारण स्वीकार नही है। प्रार्थी द्वारा यह कहना कि उसके रकबे के लिये रास्ता नही है, बिल्कुल झूठ व असत्य है। प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 6, 7 में पिछले 30 वर्षों से रास्ता मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 8, 9, 10 के लिये व ढाणी के लिये चल रहा है,पहले यह रास्ता 16 फुट चौडा था,जिसमें 10 फुट रास्ता किला नम्बर 8, 9, 10 के मालिकान द्वारा 6 फुट रास्ता प्रार्थी डाक्टर द्वारा छोडा गया था,जो कि पिछले 10 वर्ष से चल रहा है। अब करीब 1–1/2 माह पूर्व प्रार्थी डाक्टर ने अपनी 6 फुट भूमि जो रास्ते के लिये प्रयोग हो रही थी उसको कान्टे वाली तार लगाकर अपने खेत में मिला लिया हजार किला नम्बर 6 की पूर्वी साईड में लोहे का बड़ा गेट लगा लिया है और उसमें अपने खेत में सुविधापूर्वक आ–जा रहा है। यह भी बिल्कुल झूठ है कि अडोस पडोस में किसी काश्तकार से कभी झगडा हुआ हो, यह मनगढत बात बनाई गई है। प्रार्थी के खेत को मौका पर रास्ता चल रहा है और जिसमें प्रार्थी अपने खेत में आ जा रहा है। प्रार्थी द्वारा झूठे तथ्य लिखकर रास्ते की मांग की गई है क्योंकि प्रार्थी के किला नम्बर 6,7 के दक्षिणी किनारे रास्ता सडक से होकर किला नम्बर 8,9,10 के काश्तकारान के खेत व ढाणी में पिछले 30 वर्षों से चल रहा है व आज भी बिना किसी रूकावट के जारी है और उसी रास्ता से प्रार्थी डाक्टर अपने खेत में आ जा रहा है। दरख्वास्त की मद संख्या 06 कानूनी है और धारा 251–ए में स्पष्ट है कि अगर किसी काश्तकार को अपने खेत में आने जाने के लिये रास्ता न हो तो वह इस धारा में दरख्वास्त दे सकता है। परन्तु इस धारा के पार्ट बी के फस्ट व सैकिण्ड में स्पष्ट लिखा है कि यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और सैकिण्ड में यह लिखा है कि अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। इसलिये यह दरख्वास्त इसी आधार पर ही खारिज होने योग्य है। मद संख्या 7 असत्य होने के कारण स्वीकार नही है। प्रार्थीया व उसका पति पिछले एक वर्ष 3 माह से जयपुर में अपने इकलौते बेटे के पास जेरे ईलाज है और बर्जुग है,डाक्टर प्रार्थी ना तो कभी उनसे मिला है और ना ही कभी टेलीफोन से सम्पर्क किया है और प्रार्थी डाक्टर को भली भांति पता है कि वह जयपर में ईलाज करवा रहे है और इसका फायदा उठाकर उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाने के लिये उस द्वारा यह प्रार्थना पत्र गलत आधार पर उनकी भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रस्तुत किया है जबकि अप्रार्थीया कोई अपनी भूमि में से रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

नहीं देना चाहती है क्योंकि प्रार्थी के खेत को रास्ता चल रहा है और रास्ता उसके दो बीघो में किला नम्बर 6 व 7 में लगता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) में दिये गये उपबन्धा का पूरा नही करता है इसलिये यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसलिये भी चलने योग्य नही है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया के किला नम्बर 1 0 में 3 बिस्वा भूमि पर रास्ता स्वीकृत करने की मांग की है जबकि जिस जगह रास्ता स्वीकृत की मांग की है कि उसके पूर्व–पश्चिम व उत्तर–दक्षिण में कहीं भी कोई रास्ता स्वीकृत नही है,तो बीच में कोई रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है। अतः जवाब दरख्वास्त प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त तथ्यों व कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण मय हर्जाना खारिज किया जावे।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक राजस्व/2020/934 दिनांक 14.10.2020 के रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार वर्तमान मे मु0 न0 26 के किला न0 6/2 के दक्षिणी–पूर्वी कोने पर दक्षिण की ओर खलता हुआ गेट लगा रखा है तथा मु0न0 26 के किला न0 6/1 तथा मु0न0 25 के किला न0 10 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने को रास्ते के रूप में काम मे ले रहा है जो कि सिंचाई विभाग नहर की पटरी पर चढता है। नहर की पटरी पर डामर रोड बनी हुई है। जो लगभग 1064 फीट उत्तर पूर्व की ओर चलकर कटानी रास्ते से मिलती है। प्रार्थी की भूमि मु0न0 26 के उतर की ओर मु0न0 23 के किला न0 1 ता 5 में एसएसबी रोड़ चल रही है। वह 705.5 फीट दूरी पर है जो कि निकटतम है। वर्तमान प्रार्थी की भूमि से औसत 12 फीट दूरी पर सिंचाई विभाग की भूमि पर डामर रोड़ चल रही है यह कटानी रास्ता नहीं है परन्तु डामर रोड द्वारा प्रार्थी कटानी रास्ता मु0 न0 24 के किला न0 15 तक पहुंचता है इस रास्ते से वादी को अपने खेत में आने जाने में आसानी रहती है। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को वर्तमान में रास्ता तो उपलब्ध है परन्तु मंजूर शुदा नहीं है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त–2016 (1) RRT 649 RAJASTHAN HIGH COURT, 2018-19(Supp.) RRT BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER पेश किये। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के बिन्दु सं. 5 के अनुसार प्रार्थी को वर्तमान में अपनी कृषि भूमि पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। चूंकि प्रार्थी को वर्तमान में रास्ता उपलब्ध है। अतः रास्ते की "आत्यन्तिक आवश्यकता" साबित नहीं होती है। धारा 251–ए आर.टी.ए. के प्रावधानान्तर्गत रास्ता सुविधा के लिए न होकर केवल आत्यन्तिक आवश्यकता के बिन्दु पर ही स्वीकृत किया जा सकता है। अतः वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता एवं आत्यन्तिक आवश्यकता के अभाव में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. काश्त. अधि. पोषणीय नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner